2018/01438

राजस्व लोक अदालत केम्प भगवानपुरा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 126/2018

वादीनी :– 1 हरकूदेवी पत्नि पेमाराम कुम्हार निवासी चिलानाडी तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. भंवरलाल, देवाराम पुत्र पेमाराम कुम्हार सा. चिलानाडी

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांक:–18.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भगवानपुरा में प्रस्तुत की गई है।

वादीनी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम चिलानाडी के खसरा न0 2673 रकबा 0.06, ख0न0 2674 रकबा 62.14, ~~ख0न0 2 रकबा~~ कुल रकबा 63.00 बीघा में वादीनी के पति के म्यूटेंशन भरते समय प्रार्थीनी का नाम हरकूदेवी के स्थान पर हुकली दर्ज हो गया है, जो अशुद्व नाम है। जबकि सरकारी दस्तावेज मे सही नाम हरकूदेवी है। अतः अशुद्व नाम हुकली की जगह शुद्व नाम हरकूदेवी करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी व पटवारी चिलानाडी/ आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम सुथारो की ढाणी के विवादित ख0न0 2673 रकबा 0.06, ख0न0 2674 रकबा 62.14, ~~ख0न0 2 रकबा~~ कुल रकबा 63.00 बीघा में वादीनी का नाम हुकली राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में हरकूदेवी दर्ज है। अतः वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को ग्राम चिलानाडी के ख0न0 2673 रकबा 0.06, ख0न0 2674 रकबा 62.14, ~~ख0न0 2 रकबा~~ कुल रकबा 63.00 बीघा में वादीनी का नाम हुकली के स्थान पर हरकूदेवी नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......भगवानपुरा

Scanned by CamScanner